

संख्या: ई.डी.एन-केजीआर-(ई-7)- सामान्य/2018-1090

कार्यालय: उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा

कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

दिनांक : धर्मशाला-176215

21/05/2019

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक

प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च/ एवम बरिष्ठ निजी पाठशाला

ज़िला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

विषय:-

प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में एक-रूपता बनाये रखने बारे ।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या ई.डी.एन.-बी-बी (16)-1/लूज दिनांक 23-04-2019 जोकि निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला-01 के कार्यालय संख्या पत्र ई.डी.एन.(एच)4-46/2018 Recognition दिनांक 30-04-2019 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है । जिसके संदर्भ में समस्त मान्यता प्राप्त निजी पाठशालाओं के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में एक-रूपता बनाये रखने हेतु हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम पहली से आठवीं कक्षा तक अपनी पाठशालाओं से छात्राओं की कक्षा-बार/विषयवार संख्या (मीडियम सहित) की सूचना अपने-अपने संबंधित खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तीन दिनों के भीतर-भीतर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें । अन्यथा देरी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने पर बिभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इसे अतिआवश्यक समझा जाये।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक:धर्मशाला-176215

21/05/2019

प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला को उनके कार्यालय पत्र उपरोक्त दिनांक 30/04/2019 के संदर्भ में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
- 2 समस्त प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ज़िला कांगड़ा (हि.प्र.) को इस कथन के साथ प्रेषित है कि वे वांछित सूचना अपने-अपने शिक्षा खण्ड के अंतर्गत आने वाले मान्यता प्राप्त निजी पाठशालाओं के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों से प्राप्त कर समेकित करके इस कार्यालय को तुरंत प्रेषित करें। इसे अतिआवश्यक/समयबद्ध समझा जाये।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
कांगड़ा स्थित धर्मशाला